



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं0 पटना 559) पटना, बृहस्पतिवार, 1 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
1 जुलाई 2021

एस0 ओ0 110 दिनांक 1 जुलाई 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 212 दिनांक 08 मई 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 598 दिनांक 08 मई 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के तीसरे अनुच्छेद में पहले परंतुक के पश्चात, निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-04 में विवरणी मई 2021 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।”

2. यह अधिसूचना अप्रैल 2021 के 30 वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9)1105)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

1 tnykbl 2021

एस० ओ० 110, दिनांक 1 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9) 1105 )]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 1st July 2021***

S.O. 110, dated 1st July 2021— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 212 dated the 8<sup>th</sup> May, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598 dated the 8<sup>th</sup> May, 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31<sup>st</sup> March, 2021, upto the 31<sup>st</sup> day of May, 2021.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30<sup>th</sup> day of April, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)1105)]  
By the order of Governor of Bihar,  
Dr. Pratima,  
*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 559-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>